

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30/XXX-2/18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधिकानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा निजी अनुरोध में स्थानान्तरित किया जाता है-

| क्र.सं. | नाम व पदनाम | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती | अन्वयिता |
|---------|--|-----------------------------------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री यतीश पंत, अपर सांखिकीय अधिकारी | कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर | संयुक्त कृषि निदेशक, कुमायू मण्डल, हल्द्वानी | - |

श्री यतीश पंत, अपर सांखिकीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री यतीश पंत का वेतन सहायक निदेशक, सांखिकी के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित किया जायेगा। श्री पंत का स्थानान्तरण निजी अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

२५/
(डॉ अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1642 /स्था०-२/अ०स०अधि०/स्थाना०पत्रा०/2018-19/ दिनांक: ०० जून, 2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. जिलाधिकारी उधमसिंहनगर को इस अनुरोध के साथ कि वे श्री यतीश पंत को एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
03. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमायू मण्डल, हल्द्वानी को इस अनुरोध के साथ कि वे श्री यतीश पंत की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
04. सम्बन्धित कौषाधिकारी।
05. संयुक्त कृषि निदेशक, सांखिकी।
06. श्री यतीश पंत, अपर सांखिकीय अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
07. गार्ड पत्रावली।

१
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-30 / XXX-2/18/30(13) 2017 दिनांक-06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक-25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है-

| क्र.सं. | नाम व पदनाम | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती | अभ्युक्ति |
|---------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री पूरन चन्द्र बड़सिलिया, अपर सांखिकीय अधिकारी | कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर | कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर | - |

श्री पूरन चन्द्र बड़सिलिया, अपर सांखिकीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री पूरन चन्द्र बड़सिलिया का स्थानान्तरण जनहित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हे स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

४६।—
(डॉ अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 164। /स्था०-२/अ०स०अधि०/स्थाना०पत्रा०/2018-19/ दिनांक/० जून, 2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. जिलाधिकारी बागेश्वर को इस अनुरोध के साथ कि वे श्री पूरन चन्द्र बड़सिलिया को एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
03. जिलाधिकारी उधमसिंहनगर को इस अनुरोध के साथ कि वे श्री पूरन चन्द्र बड़सिलिया की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
04. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
05. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांयू मण्डल, हल्द्वानी।
06. संयुक्त कृषि निदेशक, सांखिकी।
07. श्री पूरन चन्द्र बड़सिलिया, अपर सांखिकीय अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।
08. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक—05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 संख्या—01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—30 / XXX-2/18/30(13) 2017 दिनांक—06.02.2018 एवं शासनादेश संख्या—140 / XXX(2) 18/ 30(13) 2018 दिनांक—25.05.2018 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक—05.06.2018 में दी गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम—3 में उल्लिखित कार्यालय से कालम—4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है—

| क्र सं. | नाम व पदनाम | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती | अभ्युक्ति |
|---------|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री विनोद किस्वाण, अपर सांख्यिकीय अधिकारी | कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल | कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर | — |

श्री विनोद किस्वाण, अपर सांख्यिकीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री विनोद किस्वाण का स्थानान्तरण जनहित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने सा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा—24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

४७
(डॉ अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1640 /स्था०-२/अ०स०अधि०/स्थानांपत्रा०/2018-19/ दिनांक: १० जून, 2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. जिलाधिकारी नैनीताल को इस अनुरोध के साथ कि वे श्री विनोद किस्वाण को एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
03. जिलाधिकारी बागेश्वर को इस अनुरोध के साथ कि वे श्री विनोद किस्वाण की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
04. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
05. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांयू मण्डल, हल्द्वानी।
06. संयुक्त कृषि निदेशक, सांख्यिकी।
07. श्री विनोद किस्वाण, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।
08. गार्ड पत्रावली।

१
(उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।